

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सुरेन्द्रगिर

बनाम

गोविन्दगिर


प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर

13

सन-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
25.01.2022	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 557 / 564 की 6.7910हैक् भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नहीं किया जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नहीं होगा तथा विरास्तन नामान्तकरण में उक्त स्थगन आदेशज्ञ बाधक नहीं होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक .28.02.2022 को पेश हो।</p>	


 सहस्रक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 नोहर

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. अते. साहब
 ...
 पत्रावली दि० ... को पेश हो

प्रो. गोविन्दगिर
 कर्मी-कलक्टर
 नोहर
 सुरेन्द्रगिर
 पत्रावली
 दिनांक

28/01/22

27/5/22

~~वकील सायल के निवेदन पर पत्रावली पेशी~~
~~में की गई वकील सायल के पत्रावली के विवेक~~
~~विषय की सम प्रस्तावना या आपस में~~
~~रात्रीगमा के अथवा या इतलिके प्रार्थनापत्र नहीं~~
~~पत्रावली चालते एकारिभू पत्रावली~~
~~सायल हुकम के द्वारा उपरान्त प्रार्थना~~
~~पत्र नहीं चलाते के द्वारा एकारिभू~~
~~गौरव से पत्रावली चालित पत्रावली~~